



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

वैशाख 27, बुधवार, शाके 1939-मई 17, 2017  
Vaisakha 27, Wednesday, Saka 1939-May 17, 2017

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये  
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)  
सामान्य कानूनी नियम।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

अधिसूचना

जयपुर, मई 17, 2017

जी.एस.आर. 20:- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. - (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 157 का संशोधन.- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, के नियम 157 के उप-नियम(1) के खण्ड (i) के उप-खण्ड (ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से ठीक पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान" के स्थान पर अभिव्यक्ति "31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षों के दौरान" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ.4(7) अमे/रूल्स/लीगल/पी.आर./2017/447]

राज्यपाल के आदेश से,  
विष्णु कुमार गोयल,  
उप शासन सचिव।